कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 5495/सात लाई0एस0–150/व्यव0/वि0म0/वर्ष 2019–20/देहरादून/दिनांक जून, 22, 2019

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 492/XXIII/2019/04(04)/2018/देहरादूनः दिनांकः 21.06.2019 के अन्तर्गत राज्य में अद्यतन तक अव्यवस्थापित मदिरा की फुटकर दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा व बीयॅर) हेतु घोषित व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवशेष अवधि (दिनांकः 01.07.2019 से 31.03.2020 तक) हेतु लाटरी प्रकिया के अनुसार व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यकम निर्धारित किया जाता है :–

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांकः 27.06.2019 समय 05:00 बजे अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	दिनांकः 29.06.2019 प्रातः 10:00 बजे से आवंटन की प्रकिया समाप्त होने तक।

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता हेतु निम्न शर्तो के साथ–साथ फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2019 तथा तत्सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्याः 160/XXIII/2019/04(04)/2018/देहरादून/दिनांकः 22.02.2019 तथा संख्याः 492/XXIII/2019/04(04)/2018/देहरादूनः दिनांकः 21.06.2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप होगीः–

(क) आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या (PAN) तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदक को मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 20% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ड.) मदिरा दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।

(च) एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अधिकतम दो मदिरा की दुकान ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार अधिकतम दो (02) मदिरा दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकान हेतु उसके द्वारा दिये गया आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। वे अनुज्ञापी जिनके द्वारा अपनी मदिरा की दुकान नवीनीकृत करा दी गयी है या एक मदिरा दुकान पूर्व में प्राप्त कर चुके हों, वह भी दूसरी मदिरा दुकान हेतु आवेदन कर सकता है।

कमशः पृष्ठ 02..........

(छ) देशी मदिरा की दुकानों के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 25,000/– तथा विदेशी मदिरा व बीयॅर की दुकान के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 30,000/– प्रकिया शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में लिया जायेगा। उक्त प्रकिया शुल्क अप्रतिदेय होगा।

(ज) उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2019 जो कि शासन की अधिसूचना संख्या: 126/XXIII/2019/04(04)/2018/देहरादून/दिनांक: 07.02.2019 के द्वारा निर्गत की गयी है, में उल्लिखित व्यवस्थाओं जो अद्यतन तक संशोधित नहीं की गयी है, का पालन भी बाध्यकारी होगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया एवं शर्ते आबकारी विभाग की वैबसाईट "www.uttarakhandexcise.org.in से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

5496–5501

संख्या: /सात लाई0एस0–150/व्यव0/वि0म0/वर्ष 2019–20/देहरादून/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मण्डलीय (गढ़वाल व कुमॉय) एवं उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र (देहरादून व नैनीताल)
5. सहायक आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को उक्त सामान्य निर्देशो को वेवसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल की अव्यवस्थित विदेशी मदिरा की फुटकर आबकारी दुकानों के राजस्व का निर्धारण
(दिनांक 01.07.2019 से 31.03.2020 तक)

क0 सं0	विदेशी मदिरा की दुकान का नाम	वर्ष 2019–20 में निर्धारित राजस्व	निर्धारित राजस्व का 65 प्रतिशत	अनुज्ञापन शुल्क	अधिभार की धनराशि	धरोहर धनराशि का विवरण	वांछित हैसियत की धनराशि	प्रथम प्रतिभूति की धनराशि	द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	घनसाली	91468374	59454443	595000	58859443	1486361	11890889	6539938	6539938
2	नई टिहरी	63403665	41212382	412000	40800382	1030310	8242476	4533376	4533376
3	शिवपुरी	94926863	61702461	617000	61085461	1542562	12340492	6787273	6787273
4	लम्बगांव	56016271	36410576	364000	36046576	910264	7282115	4005175	4005175
5	भागीरथीपुरम	44852216	29153940	292000	28861940	728849	5830788	3206882	3206882
6	गजा	36347102	23625616	236000	23389616	590640	4725123	2598846	2598846
7	घुत्तु	24339572	15820722	158000	15662722	395518	3164144	1740302	1740302
कुल योग		411354063	267380141	2674000	264706141	6684504	53476028	29411793	29411793

(प्रेरणा बिष्ट)
आबकारी निरीक्षक
जनपद टिहरी गढ़वाल।

21/6/19
(रेखा जुयाल भट्ट)
जिला आबकारी अधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

CS As proposed.
(सोनिका)
जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।